

भारत सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त, धन बाद ।

सं० सं०: तकनीकी १२ए-१६/२००१-०२/
धनबाद, दिनांक १९-०८-२००२.

आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १२ए/एए के तहत आदेश

ग्रामिका इंडिया, किस्मो, बाकरगंज, पो०- किस्मो, भाया- राजधनवार, जिला-गिरीडीह ने आयकर अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निबन्धन हेतु अपना आवेदन विहित पत्र में दिनांक ६-०२-२००२ को अपने संविधान दिनांक ०९-०९-१९९४ की प्रतिलिपि के साथ दिया है । उक्त आवेदन निर्धारित समय के २७०७ दिनों के विलम्ब के बाद दिया गया है । चूंकि ट्रस्ट/संस्था के आवेदन पत्र देने में विलम्ब के पर्याप्त कारण नहीं पाये गये तथा देरी के न्याय संगत कारण नहीं दिये जाने के कारण इस संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा १२ए/एए के अन्तर्गत दिनांक ०१-०४-२००१ से प्रभावी होगा, स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

इस कार्यालय में धारा १२ए/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन की तकनीकी/१२ए-१६/२००१-०२ संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है ।

६०
(एन० पी० भगत)

आयकर आयुक्त, धनबाद ।

ज्ञापन सं०: तकनीकी १२ए-१६/२००१-०२/ 1955-57.

धनबाद, दिनांक १९-०८-२००२.

२७७५

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. ग्रामिका इंडिया, किस्मो, बाकरगंज, पो०- किस्मो, भाया- राजधनवार, जिला-गिरीडीह ।
२. अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-३, देवघर ।
३. आयकर उपायुक्त, अंचल-३, ~~बाकरगंज~~ ^{राजधनवार} । आयुक्त महोदय के निम्नलिखित निर्देशों के साथ :
 १. उपयुक्त आवेदक की आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।
 २. आयकर धारा 11(४ए) की पात्रता के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करें ।



(कौशलेन्द्र प्रसाद) 19.8.02

आयकर अधिकारी (तकनीकी)

कृते :- आयकर आयुक्त, धनबाद ।